न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 13/18 दायरा दिनांक 12.10.2018

पीठासीन अधिकारी – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

दलसिंह पुत्र भल्ला उम्र 58 वर्ष जाति भील निवासी सीलोरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–वादी

– बनाम –

पप्पू पुत्र बिरधीलाल उम्र 40 वर्ष जाति काछी निवासी निवाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 13.08.2022

उपस्थित– वादी की ओर से–श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक
प्रतिवादी की ओर से–श्री अरविन्द शर्मा अभिभाषक

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सीलोरी पटवार क्षेत्र अजरोंडा तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 46/1 रकबा 8.00 वीघा (1.2950 हैक्टेयर) स्थित है, जिसे दावे में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी वादी के खाते तथा कब्जेकाश्त की है, जिसके पूर्व में– रामजुगल उर्फ रमेश मीणा का खेत, पश्चिम में– गोपाल भील का खेत, उत्तर में– सरदार का खेत तथा दक्षिण में– वन भूमि स्थित है। उक्त विवादित आराजी को वादी ने आज से 35 वर्ष पूर्व बंजड से नोतोड कर काबिल काश्त बनाया और कडी मेहनत व धन व्यय कर अनेकों बार गोबर की खाद डाल उपजाऊ बनाया है, उक्त आराजी पर वादी पूर्व में अतिक्रमी की हैसियत से काबिज था, जिसका जुर्माना व तावान राशि वादी ने राज को अदा की है। कब्जे के आधार पर ही उक्त आराजी दिनांक 17.09.1998 को वादी को आवंटन की जाकर ततकालीन हल्का पटवारी द्वारा मौके पर दखल व कब्जा संभलाया गया है, तभी से वादी उक्त विवादित आराजी पर वहैसियत मालिक व स्वामी होकर निरन्तर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है, जिसमें वर्तमान में वादी की फसल मक्का खडी है। वादी के खाते तथा स्वतंत्र कब्जे कास्त में किसी को भी दखलन्दाजी अथवा हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी पूर्व विधायक श्री हेमराज मीणा का निजी कार चालक है, जो ग्राम निवाडी का स्थायी निवासी भी नहीं है, जिसने अपने राजनैतिक प्रभाव के बल पर वर्ष 2006 में खसरा नम्बर 46 में ही 5.00 बीघा भूमि विधि विरूद्व तथ्यों को छिपाकर नियमन करायी है, जबकि मूल खसरा नम्बर 46 के किसी भी भाग पर प्रतिवादी का आज तक कभी कोई कब्जा अथवा काश्त नहीं है। प्रतिवादी पप्पू दिनांक 25.09.2018 को वादी की उक्त विवादित आराजी पर पहुंचा और वादी से कहने लगा कि तुम्हारे खेत (विवादित आराजी) में मेरी 5.00 बीघा भूमि की पैमायश मुझे हल्का पटवारी ने की है, इस कारण मैं तुम्हारी उक्त विवादित आराजी में से रकबा 5.00 बीघा भूमि की फसल काटकर कब्जा करूंगा, वादी ने प्रतिवादी से आग्रह किया कि विवादित आराजी वादी के खाते की है, जिस पर वादी विगत 35 वर्षों से काबिज है, जिस पर वादी किसी अन्य को अथवा प्रतिवादी को कब्जा नहीं करने देगा तो प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी है कि वह पूर्व विधायक का आदमी है, जो वादी को जबरन ताकत के बल पर विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा करेगा और वादी कुछ भी नहीं कर पायेगा। प्रतिवादी की उक्त कृत्य व धमकी से वादी के हकूक मालिकाना आराजी को भारी ख़तरा उत्पन्न हो गया है, प्रतिवादी वादी की उक्त खातेशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

विवादित आराजी पर जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर आमादा हो रहा है, यदि प्रतिवादी ने बलपूर्वक वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नही हो सकेगा, इस कारण वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, आदि।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी ने अपने अभिभाषक के जरिये जबाव दावा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी के पूर्व में–रामजुगल मीणा का खेत, पश्चिम में–गोपाल भील का खेत, उत्तर में–सरदार का खेत तथा दक्षिण में–वन भूमि के मध्य की भूमि खसरा नंबर 46/1 रकबा 8.00 बीघा होना अस्वीकार है। वादी का भूमि को 35 वर्ष पूर्व नौतोड कर बंजड भूमि को काबिल काश्त बनाना अस्वीकार है, अगर 35 वर्ष पूर्व काबिल काश्त बनाया होता तो अतिक्रमी के रूप में वादी के विरूद्व कार्यवाही की जाती। वादी मध्यप्रदेश का निवासी है, राजस्थान से बाहर के व्यक्ति को आवंटन नहीं हो सकता। वादी ने धोखाधडी करते हुये तथ्यों को छुपाकर आवंटन कराया है, आवंटन के आधार पर वादी ने कपटपूर्वक खातेदारी प्राप्त कर ली है वादी का भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे काश्त के अभाव में वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी अपने खाते की भूमि पर वहेसियत खातेदार काबिज है। दिनांक 25.09.18 को प्रतिवादी का वादी की विवादित आराजी पर पहुंचना आदि समस्त कथन अस्वीकार है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि प्रतिवादी अपने खाते की भूमि पर काबिज काश्त है, उक्त भूमि में वादी स्वयं की भूमि बतलाकर झगडा करने म. प्र. से भील लाकर मारने की धमकी देकर विवाद को आमादा होने से प्रतिवादी ने वादी से झगडे से बचाने के लिये भूमि की पैमायश भी करवा ली लेकिन वादी जबरन प्रतिवादी की आराजी पर कब्जा करना चाहता है, इसलिये तथ्यों को छुपाकर प्रतिवादी की भूमि को चतुर्थ सीमाओं में शामिल कर न्यायालय को धोखे में रख डिक्री प्राप्त कर कब्जा करने को यह वादपत्र पेश किया है, जो निरस्तनीय है।

वादपत्र एवं जबाव दावे के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई –

1– आया वादी वाद पत्र की मद संख्या 2 की वर्णित चतुर्थ दिशा की भूमि खसरा नंबर 46/1 रकबा 8.00 बीघा वादी के खाते व कब्जे काश्त की है जिस पर वादी आवंटन के पूर्व से ही काबिज काश्त है तथा आवंटन पश्चात से साधिकार काबिज है, जिस पर दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

वादी की ओर से पी डबलू 1 दलसिंह, पी डबलू 2 नानसिंह के बयान कराये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम सीलोरी सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3, दखलनामा एलोटी प्रदर्श 4, आवंटन आदेश की प्रति प्रदर्श 5 तथा नकलें खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सन 1998–99 प्रदर्श 6, वर्ष 1997–98 [illegible] 7, वर्ष 1996–97 प्रदर्श 8, वर्ष 1995–96 प्रदर्श 9,वर्ष 1994–95 [illegible] की ओर कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। वहस उभयपक्ष सुनी गई। तनकीवार [illegible] विश्लेषण निम्न प्रकार है –

<u>तनकी संख्या 1</u> – [illegible] मद संख्या 2 की वर्णित चतुर्थ दिशा की भूमि खसरा नंबर 46/1 रकबा 8.00 बीघा वादी के खाते व कब्जे काश्त की है जिस पर वादी आवंटन के पूर्व से ही काबिज काश्त है तथा आवंटन पश्चात से साधिकार काबिज है, जिस पर दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है। स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वादी को यह साबित करना पडेगा कि वादग्रस्त भूमि उसके स्वामित्व की है और वाद पेश किये जाने के समय उसका कब्जा हो। वादी की ओर से अपने खाते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

नकल जमाबन्दी ग्राम सीलोरी सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1 पेश की है, जिससे वादी विवादित भूमि का खातेदार होना प्रमाणित है। विवादित भूमि पर वादी ने अपने कब्जे के समर्थन में आवंटन के पूर्व की नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सन 1998–99 प्रदर्श 6, वर्ष 1997–98 प्रदर्श 7, वर्ष 1996–97 प्रदर्श 8, वर्ष 1995–96 प्रदर्श 9,वर्ष 1994–95 प्रदर्श 10 पेश की हैं, इसके अलावा आवंटन पश्चात विवादित भूमि पर वादी को दिये गये दखलनामा की प्रति प्रदर्श 4 भी पेश की है, वादी की ओर से नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 भी पेश की गई है, इससे यह तो साबित है कि वादी मौके पर काबिज काश्त है, परन्तु वादी ने अपने वादपत्र में विवादित भूमि की जो चतुर्थ सीमायें अंकित की हैं, इन चतुर्थ सीमाओं के अन्तर्गत ही विवादित आराजी स्थित है, इसे वादी साबित करने में असमर्थ रहा है। इस प्रकार वादी इस तनकी को आंशिक रूप से साबित करने में सफल रहा है। इस कारण यह तनकी आंशिक रूप वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

इसके विपरीत वादी द्वारा विवादित भूमि की वादपत्र में अंकित चतुर्थ सीमाओं के अन्तर्गत ही प्रतिवादी ने अपने खाते की भूमि के स्थित होने का कथन किया है। जिससे वादी तथा प्रतिवादी के मध्य सीमा विवाद की स्थिति उत्पन्न होना दर्शित होता है।

अतः किये गये उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि वादी तथा प्रतिवादी की मौजूदगी में विवादित भूमि सहित प्रतिवादी की खातेशुदा भूमि खसरा नंबर 46/4 रकबा 5.00 बीघा का सीमाज्ञान करावें। बाद सीमाज्ञान वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी कोई दखलन्दाजी नहीं करे, इस बावत प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी मुकाम– शाहाबाद

व इजलास – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

दलसिंह पुत्र भल्ला उम्र 58 वर्ष जाति भील निवासी सीलोरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–वादी

– बनाम –

पप्पू पुत्र बिरधीलाल उम्र 40 वर्ष जाति काछी निवासी निवाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–प्रतिवादी

दावा बावत– अन्तर्गत धारा 188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 13/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....

व हाजरी.....मिनजामिन मुद्दई रूबरू.....

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि **वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को आदेशित किया जाता है कि वादी तथा प्रतिवादी की मौजूदगी में विवादित भूमि सहित प्रतिवादी की खातेशुदा भूमि खसरा नंबर 46/4 रकबा 5.00 बीघा का सीमाज्ञान करावें। बाद सीमाज्ञान वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी कोई दखलन्दाजी नहीं करे, इस बावत प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।**

निज .....मुबलिग.....बावत.....

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह.....फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....को अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.08.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक			स्टाम्प अर्जीदावा सटाम्प अर्जी मेहनताना बकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद